संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-72(1)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

1 JAN 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक ~~दिसम्बर, 2019~~

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 312 मान्यता/के0यू0/2019 दिनांक 31 मई, 2019 एवं पत्र संख्या केयू/मान्यता/2019/842. दिनांक 25 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **एम0आई0ई0टी0 इंजीनियरिंग कॉलेज, लामाचौड़, हल्द्वानी** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम में सत्र 2018–19 से सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2018–19 से पूर्व के सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में इस सचिवालय के पत्र संख्या 296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार प्रदत्त सैद्धान्तिक सहमति व छात्रहित में एक बार समाधान के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर सम्बद्धता विषयक आदेश यथाशीघ्र जारी करेगी।

3– शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा **एम0आई0ई0टी0 इंजीनियरिंग कॉलेज, लामाचौड, हल्द्वानी** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम में **60 सीटों** के साथ **सत्र 2019–20** हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान कर दी गई है कि :–

(1) सत्र 2018–19 व उसे पूर्व के लम्बित सभी सत्रों के अस्थाई सम्बद्धता विषयक कार्यपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी व पूर्व के सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता, सत्र 2019–20 के आदेश से पूर्व अवश्य जारी करेगा। यदि पूर्व सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई हो तो सत्र 2019–20 के लिए सम्बद्धता आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

(2) सत्र 2019–20 के लिए पूर्वानुमोदन नियामक संस्था/यू0जी0सी0 के विनियमों के पूर्ण होने के तहत प्रदान किया गया है तथा अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धित आदेश कार्यपरिषद द्वारा अधिनियम की धारा–37 (2) के अनुसार कार्रवाई पूर्ण की जायेगी।

(3) सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के पश्चात विश्वविद्यालय 03 माह के भीतर संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 विनियम, 2009 के प्रस्तर 3.4.7 के अनुसार अर्हता विषयक अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्रवाई पूर्ण होने पर इस सचिवालय को कृत कार्रवाई से अवगत कराया जायेगा।

4– यू0जी0सी0 विनियमों में सत्र दर सत्र की अस्थाई सम्बद्धता के दृष्टिगत सत्र 2020–21 की सम्बद्धता विस्तारण पर विचार सत्र 2020–21 में ही मानक पूर्ण होनें की दशा में किया जायेगा।

5– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3469 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-72(1)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।